रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1283] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 29, 2018/चैत्र 8, 1940
No. 1283] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 2018/CHAITRA 8, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2018

का.आ. 1419 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 12) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 29 मार्च, 2018 को वह तारीख नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[सं. एस-42012/02/2016-एसएस-II]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2018

S.O. 1419(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Payment of Gratuity (Amendment) Act, 2018 (12 of 2018), the Central Government hereby appoints the 29th day of March, 2018 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. S-42012/02/2016-SS-II]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2018

का.आ. 1420 (अ).—केंद्रीय सरकार, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम के अधीन किसी कर्मचारी को देय उपदान की रकम बीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ।

[सं. एस-42012/02/2016-एस.एस.-II]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2018

S.O. 1420 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), the Central Government hereby specifies that the amount of gratuity payable to an employee under the said Act shall not exceed twenty lakh rupees.

[No. S-42012/02/2016-SS-II]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2018

का.आ. 1421(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) की धारा 2क की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए यह विनिर्दिष्ट करती है कि महिला कर्मचारी की दशा में प्रसूति छुट्टी की कुल अवधि छब्बीस सप्ताह से अधिक नहीं होगी ।

[सं. एस-42012/02/2016-एस.एस.-II]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2018

S.O. 1421 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of the Explanation to sub-section (2) of section 2A of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), the Central Government hereby specifies for the purposes of the said clause that the total period of maternity leave in the case of a female employee shall not exceed twenty-six weeks.

[No. S-42012/02/2016-SS-II]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.29 19:35:28 +05'30'